

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**

क्रमांक 9 / नर्सिंग / सेल 3 / 2017 /

भोपाल, दिनांक / / 2017

// आदेश //

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नर्सिंग संवर्ग की स्टाफ नर्स को एम.एस.सी. प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार निम्न कर्मचारियों को पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि का अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	कर्मचारी का नाम/पद	मूल पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षण पूर्ण/ प्रशिक्षणरत संबंधी जानकारी	अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की अवधि एवं दिनांक
1	श्रीमति सपना राय स्टॉफ नर्स	जय प्रकाश चिकि. भोपाल	प्रशिक्षणरत	दिनांक 15.11.16 से 14.11.18 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2	श्रीमति सपना शुक्ला स्टॉफ नर्स	सामु.स्वा.केंद्र औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	प्रशिक्षणरत	दिनांक 12.11.16 से 11.11.18 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
3	निशा पाटिल स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. खंडवा	प्रशिक्षणरत	दि. 18.11.2016 से 17.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
4	श्रीमति वंदना यादव स्टॉफ नर्स	सिविल अस्प. बीना जिला सागर	प्रशिक्षणरत	दि. 22.11.2016 से 21.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
5	श्रीमति सविता गर्ग स्टॉफ नर्स	शास. रानी दुर्गावती बी. एस.सी. नर्सिंग कॉलेज जबलपुर	प्रशिक्षणपूर्ण	दि. 21.08.2015 से 18.12.2015 तक 120 दिवस का अर्जित अवकाश।
6	श्रीमति रीता निकुरे	जिला चिकि. बालाघाट	प्रशिक्षणरत	दि. 19.11.2016 से 18.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
7	कु. रीता मिश्रा स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. सतना	प्रशिक्षणरत	दि. 11.11.2016 से 10.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
8	कु. अन्नपूर्णा पांडे स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. सतना	प्रशिक्षणरत	दि. 11.11.2016 से 10.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।

उपरोक्तानुसार एम.एस.सी. प्रशिक्षण हेतु उपरोक्तानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

//2//

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल 3/2017/797

भोपाल, दिनांक 18/8/2017

1. सी.एम.ओ./सी.एस. भोपाल/रायसेन /खंडवा/सागर/जबलपुर/बालाघाट/सतना की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित की सेवापुरस्तिका में स्वीकृत अध्ययन अवकाश को आवश्यक रूप से इद्राज करने की कार्यवाही करें।
2. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु ।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 9 / नर्सिंग / सेल 3 / 2017 /

भोपाल, दिनांक / / 2017

// आदेश //

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नर्सिंग संवर्ग की सिस्टर ट्यूटर को पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. / एम.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार निम्न कर्मचारियों को पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि का अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम/पद	प्रशिक्षण का नाम	मूल पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षणरत अथवा प्रशिक्षण पूर्ण की जानकारी	अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की अवधि एवं दिनांक
1	श्रीमति सुषमा शुक्ला सिस्टर ट्यूटर	एम.एस.सी. नर्सिंग	सिविल अस्प. मल्हारगंज जिला इंदौर वर्तमान में सिस्टर ट्यूटर नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	प्रशिक्षणपूर्ण	दि. 4.8.2008 से 3.8.2010 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश
2	श्रीमति सारिका गुप्ता सिस्टर ट्यूटर	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र देवास	प्रशिक्षणपूर्ण	दि. 6.10.2010 से 5.10.2012 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश ।
3	श्रीमति लक्ष्मी विरहा सिस्टर ट्यूटर	एम.एस.सी. नर्सिंग	रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	प्रशिक्षणरत	दिनांक 5.10. 2016 से 02.02. 2017 तक 120 दिवस का अर्जित अवकाश ।
4	श्रीमति सरोज सक्सेना सिस्टर ट्यूटर	एम.एस.सी. नर्सिंग	महिला बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्र टीकमगढ़	प्रशिक्षणरत	दिनांक 1.12. 2016 से 29.03. 2017 तक 120 दिवस का अर्जित अवकाश ।

उपरोक्तानुसार पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. / एम.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

//2//

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल 3/2017/786

भोपाल, दिनांक 16/8/2017

1. सी.एम.ओ./सी.एस. उज्जैन, देवास, जबलपुर, टीकमगढ की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित की सेवापुस्तिका में स्वीकृत अध्ययन अवकाश को आवश्यक रूप से इंद्राज करने की कार्यवाही करें।
2. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु ।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश